मध्य प्रदेश में बच्चों की स्थिति - एक संछिप्त रिपोर्ट, 2016

(स्कूली शिक्षा ,बाल विवाह ,स्वास्थ ,पोषण ,बच्चों के विरुद्ध अपराध,बाल जीविता और बाल मजदूरी)

Child Rights Observatory Madhya Pradesh

Seven Hills School Premise ,E-6 Arera Colony Bhopal

Phone 0755-2560466,Email cromp.in@gmail.com

चाइल्ड राइट्स ऑब्जर्वेटरी मध्य प्रदेश का उद्देशय बच्चों के अधिकारों पर पैरवी और उनसे सम्बंधित कानूनो और नीतियों की समीक्षा और अनुसन्धान करना है।क्रोम्प समय समय पर बच्चों सम्बधित नीतियों और योजाओ के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार को सुझाव भी देती है। स्थानीय स्तर पर 25 ज़िलों में जिला बाल अधिकार मंचों के माध्यम से बच्चों के मुद्दों पर पैरवी के साथ बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओ पर निगरानी रखती है। 1 जून को अंतरराष्ट्रीयबाल दिवस है। इस अबसर पर क्रोम्प द्वारा मध्य प्रदेश में बाल मजदूरी, बाल विवाह, स्कूली शिक्षा, कुपोषण, बच्चों के विरुद्ध अपराध और स्वास्थ विषयों में बच्चों की स्थिति का संछिप्त विश्लेषण किया है। जिसके परिणाम निम्नानुसार हैं।

भाग -1 –स्कूली शिक्षा

देश की स्कूली शिक्षा की स्थित

दिनांक 21 नवम्बर 2016 को संसद में बहस के दौरान श्री प्रकाश जावडेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री,भारत सरकार ने लोक सभा में बच्चों कि शिक्षा सम्बंधित जानकारी सदन में रखी ।मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए हाल ही में न्युपा द्वारा जारी रिपोर्ट का विश्लेषण क्या हैं ।मानव संसाधन विकास मंत्री,भारत सरकार द्वारा लोक सभा में बच्चों कि शिक्षा सम्बंधित जानकारी सदन में रखी जानाकारी के बिंदु ।

<u>स्कूलों की संख्या और नामांकन</u>

1. देश में 14.5 लाख स्कूल हैं जिनमे से 2.5 लाख स्कूल अपर प्राइमरी के हैं ।
2. सर्व शिक्षा अभियान के साथ जो शिक्षा का प्रसार हुआ है जिसके कारणस्कूल में कुल एनरोलमेंट में गर्ल्स के एनरोलमेंट 49 प्रतिशत हो गया है ।

<u>अधोसंरचना</u>

3. अब देश में एक भी ऐसा स्कूल नहीं जहाँ लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट न हो ।
4. देश के 40 प्रतिशत स्कूलों में बाउंडरीबाल नहीं हैं ।
5. देश के 14 .5 लाख स्कूलों में से 37 हजार स्कूलों में पीने के पानी के इंतजाम नहीं है।

शिक्षकों की उपलब्धता

6. देश में सरकार द्वारा 19.48 लाख शिक्षकों के पद स्वीकृत किये है जिनमे से 15.74 लाख पदों पर शिक्षको कि नियुक्ति हो गयी है ,बर्तमान में शिक्षको के 3.34 लाख (17 प्रतिशत)पद खाली हैं ।
7. देश के एक लाख स्कूलों में केबल एक शिक्षक नियुक्त है ।
8. सभी नियमित शिक्षकों को 6 वे बेतन आयोग कि अनुशंसा के अनुसार बेतन मिल रहा है लेकिन एड -हाक शिक्षकों को कुछ राज्यों में 15 हजार और कुछ राज्यों में 5 रूपये मासिकबेतन मिल रहा है इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्यों के शिक्षा मंत्रियो से चर्चा की है ।

शिक्षा की गुणबत्ता

9. कक्षा 5 वी और 8 वी की परीक्षा लेनी है या नहीं इसका प्रस्ताव केब कि बैठक में आया था जिस पर सहमति बनी कि इन कक्षाओ की परीक्षा लेनी है अथबा नहीं लेनी है इसका निर्णय राज्य सरकारें करेंगी ,बर्तमान में 28 से ज्यादा राज्य इन कक्षाओं कि परीक्षा करवाना चाहते हैं ।
10. कक्षा 1,2और 3 के छात्रों के लिए शिक्षा के अधिकार क़ानून के अनुरूप learning Outcomes पर नियम बना रहें है।

मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा की स्थिति

A स्कूलों की संख्या और नामांकन

न्युपा की देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो कि रिपोर्ट 2015-16 जारी हुयी जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में 1,50,762 स्कूल हैं। इनमे से 82.02प्रतिशत शासकीय और 17.98 प्रतिशत स्कूल प्रायवेट हैं। प्रदेश में प्राइमरी लेवल पर 81,10,856 ,अपर प्राइमरी लेवल पर 46,91,113 हाई स्कूल लेवल पर 25,77,724 और हायरसेकण्ड्री लेवल पर 12,82,965 बच्चे स्कूलों में दर्ज हैं।प्रदेश के सभी स्तर के स्कूलों में कुल 1,66,62,658 बच्चे दर्ज हैं।

B

अधोसंरचना

लड़कियों के लिए अलग शौचालय–बर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट में Society for Unaided Private Schools of Rajasthan VS. Union of India and Another मामलें में सुनबाई के दौरान यह तथ्य सामने आया था की स्कूलों में शौचालय न होने कि स्थिति में बच्चे स्कूल नहीं आते इससे ज्यादा लड़कियां प्रभावित होती है जो भारतीय संबिधान की धारा 21 जो बच्चों को अनिबार्य शिक्षा गारंटी का अधिकार देती है का उलंघन हैं । NUEPA की रिपोर्ट 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 3.45 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं हैं ।मध्य प्रदेश स्कूल लड़कियों के लिए शौचालय की उपलब्धता के मामलों में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो में 30 वे स्थान पर है । वहीं प्रदेश के 3.1 प्रतिशत केबल प्राइमरी स्तर और 2.45 प्रतिशत केबल अपर प्राइमरी स्तर में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं हैं।

लड़कों के लिए शौचालय-प्रदेश के कुल 3.8 प्रतिशत स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है ,जबकि देश में 9 राज्यों के शत प्रतिशत स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय हैं । मध्य प्रदेश देश में स्कूल लड़कों के लिए शौचालय की उपलब्धता के मामलों में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो में 30 वे स्थान पर है ।

स्कूलों में बिजली–प्रदेश के कुल 28.8 प्रतिशत स्कूलों में ही बिजली के कनेक्शन है प्रदेश 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो में स्कूलों में बिजली कनेक्शन मामलों में 33 वे स्थान पर है । वहीं प्रदेश के 11.31 प्रतिशत केबल प्राइमरी स्तर और 24.1 प्रतिशतकेबल अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों बिजली कनेक्शन हैं ।

स्कूलों में कंप्यूटर–देश में डिजिटल इंडिया की बात चल रहीं है जबकि मध्य प्रदेश के 84.83 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। स्कूलों में कंप्यूटर कि उपलब्धता के मामलों में प्रदेश 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 वे स्थान पर है ।वहीं प्रदेश के 2.9प्रतिशत केबल प्राइमरीस्तर और 13.33 प्रतिशत केबल अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों कंप्यूटर हैं ।

बाउंड्रीबाल –प्रदेश के 55.11 प्रतिशत स्कूलों में बाउंड्रीबालनहीं है। स्कूलों में बाउंड्रीबाल के मामलों में प्रदेश 29 वे स्थान पर है अर्थात 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ,मध्य प्रदेश से बहतर स्थिति में हैं ।

पीने के पानी कि व्यवस्था–प्रदेश के 3.63 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी कि व्यवस्था नहीं है वहीं 3.4 प्रतिशत प्राइमरी और 2.79 प्रतिशत अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हैं । देश के 8 राज्यों में 100 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी कि व्यवस्था है वहीं देश के 11 राज्यों में 99 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था है । मध्य प्रदेश स्कूलों में देश में पीने के पानी व्यवस्था में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पिछड़ा हैं। प्रदेश के 3.63 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी कि व्यवस्था नहीं है वहीं 3.4 प्रतिशत प्राइमरी और 2.79 प्रतिशत अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हैं। जबकि देश के 8 राज्यों में 100 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी कि व्यवस्था है वहीं देश के 11 राज्यों में 99 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था है।

C बीच में पढाई छूटना

ट्रांजीशन दर- प्रदेश के स्कूलों में दर्ज प्राइमरी लेवल से अपर प्राइमरी लेवल पर 10.82 प्रतिशत लड़के और 11.88 लड़कियां नहीं पहुच पाते अर्थात बीच में ही पढाई छोड़ देते हैं । लड़कों के प्राइमरी लेवल से अपर प्राइमरी लेवल के बीच शाला छोड़ने के मामले में मध्य प्रदेश 10 वे स्थान पर है और लड़कियों के प्राइमरी लेवल से अपर प्राइमरी लेवल के बीच शाला छोड़ने के मामले में मध्य प्रदेश 12 वे स्थान पर है।

बार्षिक शाला त्यागी दर-एलीमेंट्री लेवल पर कुल बार्षिक शाला त्यागी दर 7.3 प्रतिशत है । वहीं लड़कों में यह दर 6.94 और लड़कियों में यह दर 8.16 है । एलीमेंट्री लेवल पर कुल बार्षिक शाला त्यागी दर के मामलों में मध्य प्रदेश देश में 6 वे स्थान पर है ।

D-प्रशिक्षित और नियमित शिक्षक–शिक्षा के अधिकार कानून लागू होने के पांच बर्ष के दौरान राज्यो को एलेमेंट्री लेवल पर सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करना था। प्रदेश के स्कूलों में 2.17 प्रतिशत अनुबंधित शिक्षक पढा रहें है और वहीं केबल प्राथमिक स्तर के स्कूलों में 7.74 शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं वहीं केबल माध्यमिक स्तर पर 2.2 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं।

भाग -2 बाल विवाह

देश में बाल विवाह की स्थिति।

बाल विवाह के मामलों में मध्य प्रदेश देश के उन 8 शीर्ष राज्यों में हैं जहाँ सबसे ज्यादा बालिकाओं के बाल विवाह होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार देश में 20-24 बर्ष की 26.8 प्रतिशत महिलाओ का विवाह 18 बर्ष की आयु से कम में हुआ। देश में महिलाओ के बाल विवाह के मामले में शीर्ष स्थान पर पश्चिम बंगाल है जहाँ सबसे अधिक 40.7 प्रतिशत महिलाओं का बाल विवाह हुआ। महिलाओ के बाल विवाह के मामलों में बिहार देश में दूसरे, झारखंड तीसरे, राजस्थान चौथे और आन्ध्र प्रदेश पांचवे स्थान पर है। देश के अन्य प्रदेशों की बाल विवाह की स्थिति **परिशिष्ठ -1** में देखें।

ग्रामीण भारत में बाल विवाह की स्थिति

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की स्थित चिंतनीय हैं। देश के ग्रामीण क्षैत्रों में महिलाओ में बाल विवाह की दर देश के कुल बाल विवाह दर से अधिक है जहाँ देश में बाल विवाह की कुल दर 26.8 प्रतिशत है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 31.5 प्रतिशत महिलाओ का विवाह कानूनी उम्र से पहले हो जाता है। देश की तरह ही बाल विवाह के मामलों में पांच शीर्ष राज्यों में आंध्र प्रदेश को छोड़कर वाकी चार राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की दर इन प्रदेशों की औसत दर से अधिक है। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में 46.3 प्रतिशत महिलाओ का विवाह कानूनी उम्र से कम उम्र में होता है वहीं झारखंड में 44.3 प्रतिशत, बिहार में 40.9 प्रतिशत, राजस्थान में 40.5 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 35.5 प्रतिशत है। देश के अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति **परिशिष्ठ 2** में देखें।

मध्य प्रदेश में बाल विवाह की स्थिति

राष्ट्रीय स्वास्थ परिवार सर्वे रिपोर्ट-4 के अनुसार प्रदेश में 20-24 बर्ष की 30 प्रतिशत महिलाओ का बाल विवाह हुआ। मध्य प्रदेश महिलाओ के बाल विवाह के मामलों में देश में आठवे स्थान पर है परन्तु देश के ग्रामीण क्षत्रों में महिलाओ के बाल विवाह के मामलों में पांचवे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 35.8 प्रतिशत महिलाओ का विवाह कानूनी उम्र से कम में

हुआ। प्रदेश में बाल विवाह से सबसे अधिक आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ प्रभावित है जहाँ 54 प्रतिशत 20-24 बर्ष की महिलाओ का बाल विवाह हुआ। महिलाओ में बाल विवाह की सबसे कम दर बालाघाट जिले में है जहाँ केवल 8.6 प्रतिशत महिलाओ का विवाह 18 बर्ष की आयु से कम में हुआ है। प्रदेश के 50 जिलों में से 8 जिले ऐसे हैं जहाँ महिलाओ में बाल विवाह की दर 40-54 प्रतिशत है। (तालिका -1) प्रदेश के 56 प्रतिशत जिलों में महिलाओ में बाल विवाह की दर 40 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश में जिले वार महिलाओ में बाल विवाह की दर **परिशिष्ठ-3** में देखें।

तालिका -1 ,प्रदेश में बाल विवाह की स्थिति

बाल विवाह की दर (प्रतिशत)	जिलों की संख्या	प्रतिशत
51-60	1	2
41-50	8	16
31-40	18	38
21-30	14	26
10-20	8	16
<10	1	2
कुल	50	100

Source –NFHS-4

चाइल्ड राइट्स ऑब्जर्वेटरी मध्य प्रदेश द्वारा नवम्बर से दिसम्बर 2016 में प्रदेश के 23 जिलों में 16 से 35 बर्ष की 720 विवाहित महिलाओ से साक्षात्कार किया गया। (**परीशिष्ट-4)** महिलाओ से साक्षात्कार में बाल विवाह और स्वास्थ सम्बंधित प्रश्न पूछे। प्रदेश के 23 जिलों में 13

प्रतिशत महिलाओ का विवाह कानूनी उम्र से पहले हुआ। बाल विवाह की दर ग्रामीण क्षेत्र में 17 प्रतिशत तो शहरी क्षेत्र में 9 प्रतिशत है।

अध्ययन में यह भी पाया गया की अनुसूचित जाति वर्ग की 17 प्रतिशत महिलाओ,अनुसूचित जनजाति वर्ग की 11 प्रतिशत, पिछडा वर्ग की 15 प्रतिशत और सामान्य वर्ग की 8 प्रतिशत महिलाओ का विवाह कानूनी उम्र से पहले हुआ। (तालिका -2)

तालिका -2 जाति वर्ग वार बाल विवाह

Cases of Child Marriage	Number	Percentage out of Total Community Population
SC	26	17%
ST	18	11%
OBC	42	15%
Others	9	8%
Total	95	13%

CROMP ,Survey 2016

शिक्षा बाल विवाह की दर को प्रभावित करने में मुख्य कारक है, जैसे जैसे महिलाओ की शिक्षा का स्तर बढ़ता जायेगा उन महिलाओ के बाल विवाह की दर भी घटती जाएगी। निरक्षर महिलाओ की तुलना में हायर सेकेंडरी और उससे अधिक पढ़ी महिलाओ में बाल विवाह की दर 4 गुना से कम हैं। कुल 25 प्रतिशत निरक्षर महिलाओ का बाल विवाह हुआ वहीं केवल 6 प्रतिशत हायर सेकेंडरी और उससे अधिक पढ़ी महिलाओ का बाल विवाह हुआ।

ग्राफ -1 शिक्षा और बाल विवाह

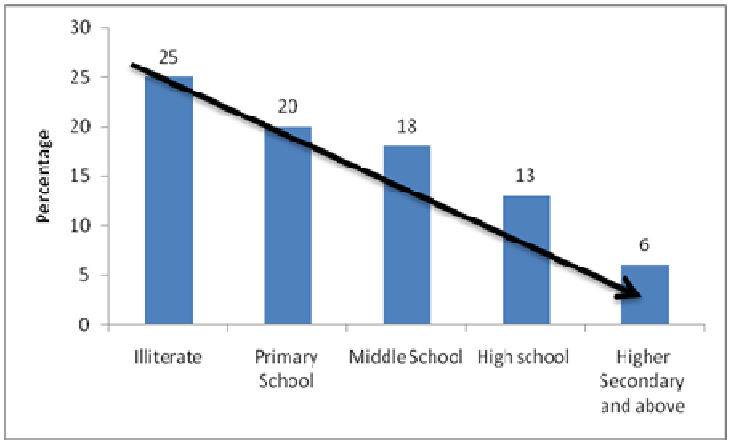

CROMP ,Survey 2016

लाडो बनी गर्भवती और माताएं

राष्ट्रीय स्वास्थ परिवार सर्वेक्षण -4 के अनुसार प्रदेश की 7.3 प्रतिशत विवाहित महिलाये 15 से 19 बर्ष की आयु के बीच में गर्भवती हो जाती या बच्चों को जन्म दे देती हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 8.6 प्रतिशत है। जिले वार आंकडे चौकाने वाले हैं। झाबुआ जिले में 24.4प्रतिशत, टीकमगढ़ में 17.1 प्रतिशत, बडवानी में 14.8प्रतिशत और अलीराजपुर जिले में 13.5प्रतिशत विवाहित महिलाएं केवल 15-19बर्ष की आयु में या तो गर्भवती हो जाती हैं या बच्चे को जन्म दे देती हैं। **जिलों की स्थिति परीशिष्ट-5 में देखें**।

लाडो के माँ बनने के परिणाम

कम उम्र में विवाह और फिर कम उम्र में माँ बनने से न केवल विवाहित महिला को खतरा है बल्कि आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होती है। प्रदेश के 23 जिलों में अध्ययन में शामिल महिलाओ में से 5.42 प्रतिशत महिलाओ ने 18 बर्ष से कम उम्र में बच्चों को जन्म दिया। अध्ययन में तथ्य सामने आया कि जिन माताओ का बाल विवाह हुआ उनके 22 पतिशत बच्चे मृत पैदा हुए। महिलाओ के 18 बर्ष से अधिक उम्र में विवाह और माँ बनने से मृत बच्चे पैदा होने का खतरा 4 गुना कम हो जाता है। (तालिका -3)

तालिका -3 विवाहित महिलाओ के मृत बच्चोंका प्रतिशत

विवाहित महिलाएं	मृत पैदा हुए बच्चों का प्रतिशत
18 बर्ष से कम	22
18 बर्ष से अधिक	5
औसत	7

अध्ययन में यह पाया कि परिपक्त उम्र में माँ बनने से न केबल बच्चे और माँ की जान का जोखिम कम रहता है वल्कि बच्चे भी स्वस्थ पैदा होते हैं। जो महिलाएं 18 बर्ष से कम उम्र में माँ बनी उनके जीवित बच्चों में से 28 प्रतिशत बच्चों का बजन 2.5 किलो से कम का था वहीं 18 बर्ष से कम उम्र में माँ बनाने बाली महिलाओ के 5 प्रतिशत बच्चे Premature पैदा हुए।

भाग -3 मध्य प्रदेश में कामगार बच्चे

मध्य प्रदेश शासन के श्रम मंत्री श्री अतर सिंह आर्य ने मध्य प्रदेश विधान सभा के फरबरी और मार्च माह 2016 में आयोजित बजट सत्र में एक प्रश्न के जवाब में जानकारी दी है की 2013 से ओक्टूबर 2015 तक राज्य में 109 बाल श्रमिको की पहचान की गई और उन्हें मुक्त कराया गया एवं उनसे अबैध रूप से श्रम करने वालो पर प्रकरण बनाये गए हैं। मंत्री जी ने यह भी बताया की २२६ बाल श्रम के प्रकरण न्यालय में प्रस्तुत किये गए हैं।

इसके विपरीत कामगार बच्चों सम्बंधित जनगणना 2011 के आकड़े कुछ और ही तथ्य उजागर करते हैं। मध्य प्रदेश देश के उम प्रमुख पांच राज्यों में शामिल है जहाँ कामगार बच्चों की संख्या अधिक है, सेन्सस द्वारा कामगार की तीन प्रमुख श्रेणी बनायीं गई है, एक सीमांत कामगार जिसका मतलब यह है की जो साल में 6माह या इससे कम समय के लिए मजदूरी करते है (सीमान्त में भी दो श्रेणी बनायीं है पहली 0-3 माह काम करने वाले कामगार दूसरे 3-6 माह तक काम करने वाले कामगार) और दूसरी मुख्य कामगार की श्रेणी है जिसमे जो बर्ष में छह माह या उससे अधिक काम करते है। तीसरी उन लोगो की है जो काम के लिए उपलब्ध है। इन तीनो को मिलाकर प्रदेश में 8,06,546 6 बच्चे (5-14 बर्ष) कामगार हैं। कामगार बच्चों की संख्या में मध्य प्रदेश का देश में पांचवां स्थान हैं। इन कामगार बच्चों में 53.49 % लड़के हैं, वही 46.51% लड़कियां हैं। कुल कामगार बच्चों में से 87.9 % बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वही 12.1 % कामगार बच्चे शहरी क्षेत्र में हैं। प्रदेश के बिभिन्न जिलों में कामगार बच्चे - आदिबासी बाहुल्य जिले -अलीराजपुर में सबसे अधिक14.8 % कामगार बच्चे (5-14 बर्ष) हैं, वही झाबुआ जिले में 14.36 % कामगार बच्चे हैं. अन्य प्रदेश के आदिबासी बाहुल्य जिले बड़वानी , बैतूल और डिंडोरी में क्रमश : 9.2% , 8.2%और 8.7%कामगार बच्चे हैं। वहीं भिण्ड जिले में सबसे कम 2.0 % कामगार बच्चे हैं।

भाग -4

प्रदेशमें बच्चों के विरुद्ध अपराधों की स्थिती

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो,द्वारा वर्ष 2015 के राज्य में बच्चों के विरुद्ध अपराध के आंकडे जारी किए गये जिसके अनुसार प्रदेश में बच्चों के विरुद्ध अपराधों के कुल 12859 मामले दर्ज किये गए। बच्चों के विरुद्ध अपराधों की घटनाओं के मामलों में देश में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है।

मध्य प्रदेश में वर्ष 2015 के दौरान अपहरण के 5306, दुष्कृत्य के 1568 और हत्या के 124 मामले दर्ज किये गए। वर्ष 2015 में प्रदेश में दुष्कृत्य की कुल 4391 घटनाऐं हुई जिसमें 35.7प्रतिषत दुष्कृत्य की घटनाऐं बच्चों विरुद्ध हुई वहीं इसी वर्ष अपहरण की कुल 6778 घटनाऐं हुई जिसमें से 78.28 प्रतिशत अपहरण की घटनाऐं बच्चों के विरुद्ध हुई।

प्रदेशके जिलो में बच्चों के विरुद्ध अपराध

आंकड़े बताते हैं की जिन जिलों में शहरी आबादी का प्रतिशत अधिक है अथवा जिन जिलों की सीमाऐं बड़े शहरों से लगी हुए हैं वहॉ बच्चों के विरुद्ध अपराधों के ज्यादा मामले घटित हुए हैं। जबलपुर जिले में बच्चों के विरुद्ध अपराध के 874 मामले दर्ज हुऐ हैं। वहीं भोपाल जिलें में यह आंकड़ा 790 है, इंदौर जैसे बड़े शहर के पड़ौस में स्थित जिलें धार में बच्चों के विरुद्ध अपराध के 724 मामले दर्ज किऐ गए। जबकि इंदौर में 644, सागर में 572, सतना में 547, विदिशा में 417 और ग्वालियर में 437 मामलें दर्ज किये गए।

आदिवासी बाहुंल्य जिलों में बच्चों के विरुद्ध अपराध

आदिवासी बाहुल्य जिलों में बच्चों के विरुद्ध अपराध की स्थिती चिंताजनक है। नीचे दी गई तालिका प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बच्चों के विरुद्ध अपराधों की स्थिती दर्शाती है।

तालिका -4 आदिवासी बाहुंल्य जिलों में बच्चों के विरुद्ध अपराध

जिला	बच्चों के विरुद्ध कुल अपराध
बालाघाट	318
शहडोल	290
सिवनी	272
बेतुल	209
बड़वानी	193
मण्डला	188

पर्यटन की दृष्टी से महत्वपूर्ण जिलों में बच्चों के विरुद्ध अपराध

पर्यटन की दृष्टी से महत्वपूर्ण जिलों में भी बच्चों के विरुद्ध अपराध की स्थिती चिंताजनक है। होशंगाबाद में बच्चों के विरुद्ध अपराध के 300, उज्जैन में 268, रायसेन में 222, टीकमगढ़ में 185 और छतरपुर में 180 मामले दर्ज किए गये हैं।

बच्चों के विरुद्ध कम अपराध वाले जिले

रिपोर्ट से बहुत ही चौकाने वाली जानकारी प्राप्त हुई है की डकैतों के लिए विख्यात भिंड जिलें में बच्चों के विरुद्ध अपराध के मात्र 9 मामले दर्ज हुए हैं वही खरगौन जिलें मे 5 श्योपुर जिलें में 32, अलिराजपुर जिले में 39 एवं नवगठित जिले आगर में सन् 2015 में 51 मामले दर्ज हुए है।

तालिका -5 अपहरण और दुष्कृत्य के मामलों में प्रमुख जिले

अपहरण	दुष्कृत्य
भोपालः 448	इंदौर : 158
जबलपुरः 428	भोपाल : 129
इंदौर : 329	धार : 122
सतनाः 302	बलाघाट : 80
धार : 205	सतना : 75
ग्वालियरः 185	बड़वानी : 72
मंडला : 117	होशंगाबाद : 64
बालाघाटः 115	कटनी : 61

SCRB report 2015

जैसा की उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, भोपाल, जबलपुर और इंदौर में अपहरण के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए इनमें से इंदौर और भोपाल मे दुष्कृत्य के भी सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए है जो इस बात को बल देता है कि शहरी जिलों मे अपराध की सबसे ज्यादा घटनाऐ घटित होती है।

हालाकि बच्चों के विरुद्ध कुल अपराध में पिछले वर्ष 2014 की तुलना में 14.51 की गिरावट बताई गई है। जहॉ पिछले वर्ष बच्चों के विरुद्ध अपराध के 15 हजार 85 मामले दर्ज किये थे वहीं इस वर्ष 12 हजार 715 मामले दर्ज हुए हैं। परंतु बच्चों के कत्ल के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 13.74 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। वहीं अपहरण 18.99 प्रतिशत, दुष्कृत्य 4.42 प्रतिशत, भ्रुण हत्या 43.33 प्रतिशत और बाल विवाह की घटनाओं में 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

भाग -5 बाल जीविता

प्रदेश में एक बर्ष में पैदा हुए 1000 बच्चों में से 51 बच्चे अपना पहला जन्म दिन नहीं मना पाते हैं। मध्य प्रदेश बाल मृत्यु-दर में देश में तीसरे स्थान पर है। (तालिका -6)वहीं प्रदेश में हजार में से 65 बच्चे अपना पांचवा जन्म दिन नहीं मना पाते, इस मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे पायदान पर है।(तालिका -7)

तालिका -6 राज्य बार बाल मृत्यु-दर,2015-16

राज्य	बाल मृत्यु-दर
Uttar Pradesh	64
Chhattisgarh	54
Madhya Pradesh	51
Assam	48
Bihar	48
Jharkhand	44
Rajasthan	41
Mizoram	40
Odisha	40
Uttarakhand	40
Andhra Pradesh	35
NCT Delhi	35
Daman & Diu	34
Gujrat	34
Himachal Pradesh	34
Dadra & Nagar Haveli	33
Haryana	33
Jammu & Kashmir	32
Meghalaya	30
Nagaland	29
Panjab	29
Sikkim	29
Karnataka	28
Telangana	28
Tripura	27
West Bengal	27
Maharashtra	24
Arunachal Pradesh	23
Manipur	22
Tamil Nadu	21
Lakshadweep	19
Puducherry	16
Goa	13
Andaman & Nicobar	10
Kerala	6
India	41

NFHS NFHS-4

तालिका -7 राज्य बार बच्चों की पांच बर्ष तक उम्र में मृत्यु (U5MR)2015-16

राज्य	बच्चोंकी पाच बर्ष तक उम्र में मृत्यु (U5MR)
Uttar Pradesh	78
Madhya Pradesh	65
Chhattisgarh	64
Bihar	58
Assam	56
Jharkhand	54
Rajasthan	51
Odisha	49
NCT Delhi	47
Uttarakhand	47
Mizoram	46
Gujrat	43
Dadra & Nagar Haveli	42
Andhra Pradesh	41
Haryana	41
Meghalaya	40
Himachal Pradesh	38
Jammu & Kashmir	38
Nagaland	37
Daman & Diu	34
Arunachal Pradesh	33
Panjab	33
Tripura	33
Karnataka	32
Sikkim	32
Telangana	32
West Bengal	32
Maharashtra	29
Tamil Nadu	27
Manipur	26
Lakshadweep	23
Puducherry	16
Andaman & Nicobar	13
Goa	13
Kerala	7

India	50

NFHS-4

भाग -6 टीकाकरण

देश में बच्चों की मौत उन कारणों से होती हैं जिनकी समय रहते रोकथाम की जा सकती है। बच्चों की मौत की रोकथाम में टीकाकरण बहुत ही सहायक तत्व है जो बच्चों को दो बर्ष तक की उम्र में लग जाने चाहिए किन्तु मध्य प्रदेश में 100 में से महज 53 बच्चों का ही सम्पूर्ण टीकाकरण हो पाता है। मध्य प्रदेश 12-23 बर्ष तक बच्चों के सम्पूर्ण टीकाकरण के मामलों में देश में 29 वे पायदान पर है। देश के एनी राज्यों की स्थिति तालिका 8 में देखें।

तालिका 8 राज्य बार सम्पूर्ण टीकाकरण की स्थिति-2015-16

क्रमांक	राज्य	12 से 23 माह के बच्चों को टीकाकरण (BCG, measles, and 3 doses each of polio and DPT) (%)
1	Puducherry	91.3
2	Panjab	89.1
3	Goa	88.4
4	Lakshadweep	86.9
5	West Bengal	84.4
6	Sikkim	83
7	Kerala	82.1
8	Chandigarh	79.5
9	Odisha	78.6
10	Chhattisgarh	76.4
11	Jammu & Kashmir	75.1
12	Andaman & Nicobar	73.2
13	Tamil Nadu	69.7
14	Himachal Pradesh	69.5
15	Telangana	68.1
16	NCT Delhi	66.4
17	Daman & Diu	66.3
18	Manipur	65.9
19	Andhra Pradesh	65.3
20	Karnataka	62.6
21	Haryana	62.2
22	Jharkhand	61.9
23	Bihar	61.7
24	Meghalaya	61.5
25	Uttarakhand	57.7
26	Maharashtra	56.3
27	Rajasthan	54.8
28	Tripura	54.5
29	**Madhya Pradesh**	**53.6**

30	Uttar Pradesh	51.1
31	Mizoram	50.5
32	Gujrat	50.4
33	Assam	47.1
34	Dadra & Nagar Haveli	43.2
35	Arunachal Pradesh	38.2
36	Nagaland	35.7
	India	62

भाग -7 कुपोषण

कुछ माह पूर्व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हाई कोर्ट में विगत विधान सभा में अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि प्रदेश में बच्चों की कुपोषण से हुयी मौत के कोई साक्ष्य नहीं है बच्चों की मौते विभिन्न बिमारियों से हुयी है। प्रदेश में पांच बर्ष तक के 42 प्रतिशत से अधिक बच्चों का कम बजन है। कम बजन के मामलों में प्रदेश देश में तीसरे पायदान पर है ,देश के बांकी राज्यों की स्थिति तालिका 9 में देखें।

तालिका 9- राज्य बार कम बजन के बच्चें - 2015-16

क्रमांक	राज्य	पांच साल तक के कम बजन में बच्चे (weight-for-age(%)
1	Jharkhand	47.8
2	Bihar	43.9
3	Madhya Pradesh	42.8
4	Uttar Pradesh	39.5
5	Gujrat	39.3
6	Dadra & Nagar Haveli	38.9
7	Chhattisgarh	37.7
8	Rajasthan	36.7
9	Maharashtra	36
10	Karnataka	35.2
11	Odisha	34.4
12	Andhra Pradesh	31.9
13	West Bengal	31.5
14	Assam	29.8
15	Haryana	29.4
16	Meghalaya	29
17	Telangana	28.5
18	NCT Delhi	27
19	Daman & Diu	26.7
20	Uttarakhand	26.6
21	Chandigarh	24.5
22	Tripura	24.1
23	Goa	23.8
24	Tamil Nadu	23.8
25	Lakshadweep	23.4
26	Puducherry	22
27	Andaman & Nicobar	21.6
28	Panjab	21.6
29	Himachal Pradesh	21.2
30	Arunachal Pradesh	19.5
31	Nagaland	16.8
32	Jammu & Kashmir	16.6
33	Kerala	16.1
34	Sikkim	14.2
35	Manipur	13.8
36	Mizoram	11.9
	India	35.7

NFHS-4

कुपोषण और इससे सम्बंधित संकेतानकों में प्रदेश की स्थिति तालिका 10-13 में दर्शायी गई है। इन सभी संकेतानको में भी प्रदेश की स्थिति चिंतनीय है।

तालिका -10 राज्य बार कम कद के बच्चे-2015-16

क्रमांक	राज्य	कम कदके बच्चे(height-for-age)%
1	Dadra & Nagar Haveli	84.6
2	Daman & Diu	73.8
3	Chandigarh	73.1
4	Haryana	71.7
5	Jharkhand	69.9
6	Madhya Pradesh	68.9
7	Bihar	63.5
8	Uttar Pradesh	63.2
9	NCT Delhi	62.6
10	Gujrat	62.6
11	Karnataka	60.9
12	Telangana	60.7
13	Rajasthan	60.3
14	Uttarakhand	59.8
15	Andhra Pradesh	58.6
16	Panjab	56.6
17	Sikkim	55.1
18	West Bengal	54.2
19	Maharashtra	53.8
20	Lakshadweep	51.9
21	Arunachal Pradesh	50.7
22	Tamil Nadu	50.7
23	Andaman & Nicobar	49
24	Goa	48.3
25	Tripura	48.3
26	Meghalaya	48
27	Puducherry	44.9
28	Odisha	44.6
29	Jammu & Kashmir	43.3
30	Chhattisgarh	41.6
31	Assam	35.7

32	Kerala	35.6
33	Manipur	23.9
34	Himachal Pradesh	22
35	Nagaland	21.6
36	Mizoram	17.7

NFHS-4

तालिका तीन बर्ष तक के बच्चो को जन्म के एक घंटे में माँ दूध-2015-16

क्रमांक	राज्य	तीन बर्ष तक के बच्चो को जन्म के एक घंटे में माँ दूध(%)
1	Mizoram	70.2
2	Odisha	68.6
3	Sikkim	66.5
4	Manipur	65.4
5	Puducherry	65.3
6	Assam	64.4
7	Goa	60.9
8	Meghalaya	60.6
9	Arunachal Pradesh	58.7
10	Maharashtra	57.5
11	Karnataka	56.4
12	Tamil Nadu	54.7
13	Lakshadweep	54.3
14	Kerala	53.3
15	Nagaland	53.2
16	Daman & Diu	52.3
17	Gujrat	50
18	Dadra & Nagar Haveli	47.8
19	West Bengal	47.5
20	Chhattisgarh	47.1
21	Jammu & Kashmir	46
22	Tripura	44.4
23	Haryana	42.4
24	Andaman & Nicobar	41.9
25	Himachal Pradesh	41.1

26	Andhra Pradesh	40.1
27	Telangana	37.1
28	Bihar	34.9
29	Madhya Pradesh	34.5
30	Chandigarh	33.5
31	Jharkhand	33.2
32	Panjab	30.7
33	NCT Delhi	29.1
34	Rajasthan	28.4
35	Uttarakhand	27.8
36	Uttar Pradesh	25.2
	India	41.6

NFHS-4

तालिका 12 बच्चों को लगातार छ: माह तक माँ का दूध- 2015-16

क्रमांक	राज्य	बच्चोंको लगातार छ: माह तक माँ का दूध (%)
1	Andaman & Nicobar	66.8
2	Andhra Pradesh	70.2
3	Arunachal Pradesh	56.5
4	Assam	63.5
5	Bihar	53.5
6	Chandigarh	N/A
7	Chhattisgarh	77.2
8	NCT Delhi	49.8
9	Dadra & Nagar Haveli	72.7
10	Daman & Diu	N/A
11	Goa	N/A
12	Gujrat	55.8
13	Haryana	50.3
14	Himachal Pradesh	67.2
15	Jammu & Kashmir	65.4
16	Jharkhand	64.8
17	Karnataka	54.2
18	Kerala	63.1

19	Lakshadweep	55
20	Madhya Pradesh	58.2
21	Maharashtra	56.6
22	Manipur	73.6
23	Meghalaya	35.8
24	Mizoram	60.6
25	Nagaland	44.5
26	Odisha	65.6
27	Panjab	53
28	Puducherry	45.5
29	Rajasthan	58.2
30	Sikkim	54.6
31	Tamil Nadu	48.3
32	Telangana	67.3
33	Tripura	70.7
34	Uttar Pradesh	41.6
35	Uttarakhand	51
36	West Bengal	52.3
	India	54.9

NFHS-4

तालिका 13 ,बच्चों में खून की कमी - 2015-16

क्रमांक	राज्य	6-59 माह के बच्चे जिनमे खून की कमी है %
1	Dadra & Nagar Haveli	84.6
2	Daman & Diu	73.8
3	Chandigarh	73.1
4	Haryana	71.7
5	Jharkhand	69.9
6	Madhya Pradesh	68.9
7	Bihar	63.5
8	Uttar Pradesh	63.2

9	NCT Delhi	62.6
10	Gujrat	62.6
11	Karnataka	60.9
12	Telangana	60.7
13	Rajasthan	60.3
14	Uttarakhand	59.8
15	Andhra Pradesh	58.6
16	Panjab	56.6
17	Sikkim	55.1
18	West Bengal	54.2
19	Maharashtra	53.8
20	Lakshadweep	51.9
21	Arunachal Pradesh	50.7
22	Tamil Nadu	50.7
23	Andaman & Nicobar	49
24	Goa	48.3
25	Tripura	48.3
26	Meghalaya	48
27	Puducherry	44.9
28	Odisha	44.6
29	Jammu & Kashmir	43.3
30	Chhattisgarh	41.6
31	Assam	35.7
32	Kerala	35.6
33	Manipur	23.9
34	Himachal Pradesh	22
35	Nagaland	21.6
36	Mizoram	17.7
	India	58.4

NFHS-4

निष्कर्ष - सेन्सस 2011 के अनुसार प्रदेश में 18 वर्ष तक के बच्चों की आबादी लगभग 40 प्रतिशत है। बच्चों के अधिकारों की अनदेखी प्रदेश में एक बहुत बड़ी आवादी के विकास को प्रभावित करता है। भारतीय संबिधान बच्चों को उनके विकास और सुरक्षा की गारंटी देता है।, बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून, नीतियाँ और संस्थागत ढांचे भी बनाये गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों को एकरूपता देने और लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बर्ष 1989 में बाल अधिकार पत्र की घोषणा की और इसके बाद सहस्राब्दी विकास लक्ष्य बनाये गए जिसमे बच्चों सम्बंधित लक्ष्यों को भी शामिल किया गया था। बर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट

द्वारा सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित कियें गएँ हैं,जिन्हें बर्ष 2030 तक हासिल करना है। इन लक्ष्यों में कुछ लक्ष्य सीधे बच्चों से जुड़े हैं, जो निम्नलिखित हैं।

G-3. हर जगह सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना

G-4. भूख समाप्त करना , खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना

G-5. सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देंना

G-6. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देंना

G-7. लेंगिक समानता को हासिल करना और महिलाओ और बालिकाओं को सशक्त बनाना

परन्तु इस रिपोर्ट में बच्चों की स्थिति पर किया विश्लेषण दर्शाता है कि मध्य प्रदेश, देश के कई राज्यों से बच्चों से सम्बंधित बिभिन्न संकेतकों में बहुत पिछड़ा हैं। बच्चों से सम्बंधित अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों और संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बेहतर नीतिगत हस्तक्षेप और समय-समय पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा आवश्यक है।

परिशिष्ठ-1

देश में बाल विवाह की स्थिति-2015-16

S.no.	States /UTIs	Women age 20-24 years married before age 18 years (%)
1	West Bengal	40.7
2	Bihar	39.1
3	Jharkhand	38
4	Rajasthan	35.4
5	Andhra Pradesh-	32.7

6	Assam	32.6
7	Tripura	32.2
8	Madhya Pradesh	30.0
9	Dadra & Nagar Haveli	27.8
10	Telangana	25.7
11	Daman & Diu	25.4
12	Maharashtra	25.1
13	Gujarat	24.9
14	Arunachal Pradesh	23.5
15	Karnataka	23.2
16	Chhattisgarh	21.3
17	Odisha	21.3
18	Uttar Pradesh	21.2
19	Haryana	18.5
20	Andaman & Nicobar Islands	17.1
21	Meghalaya	16.5
22	Tamil Nadu	15.7
23	Sikkim	14.5
24	Uttarakhand	13.9
25	Nagaland	13.3
26	Manipur	13.1
27	NCT Delhi	13
28	Chandigarh	12.7
29	Mizoram	10.8
30	Puducherry	10.7
31	Goa-	9.8
32	Jammu & Kashmir	8.7
33	Himachal Pradesh	8.6
34	Keral	7.6
35	Punjab	7.6
36	Lakshadweep	0.9
	India	31.5

Source –NFHS-4

परिशिष्ठ-2

देश के ग्रामीण क्षत्रों में बाल विवाह की स्थिति-2015-16

S.no.	States /UTIs	Women age 20-24 years married before age 18 years (%)

1	West Bengal	46.3
2	Jharkhand	44.3
3	Bihar	40.9
4	Rajasthan	40.5
5	Madhya Pradesh	35.8
6	Andhra Pradesh-	35.5
7	Telangana	35
8	Tripura	34.8
9	Assam	33.9
10	Maharashtra	31.5
11	Gujarat	30.7
12	Dadra & Nagar Haveli	27.5
13	Karnataka	27
14	Arunachal Pradesh	25.5
15	Uttar Pradesh	24.9
16	Chhattisgarh	23.5
17	Odisha	21.7
18	Andaman & Nicobar Islands	20.4
19	Meghalaya	19.3
20	Tamil Nadu	18.3
21	Daman & Diu	18.2
22	Haryana	17.8
23	Mizoram	17
24	Nagaland	15.8
25	Uttarakhand	14.8
26	Manipur	14.3
27	Sikkim	13.6
28	Jammu & Kashmir	10.3
29	Puducherry	10.2
30	Himachal Pradesh	8.8
31	Punjab	8.1
32	Keral	7.5
33	Goa-	2.7
34	Lakshadweep	0
35	Chandigarh	NO data
36	NCT Delhi	NO data
	India	**26.8**

Source –NFHS-4

परिशिष्ठ-3

मध्य प्रदेश में बाल विवाह की स्थिति-2015-16

S.no.	Distticts	Women age 20-24 years married before age 18 years (%)
1	Jhabua	54.0
2	Mandsaur	48.2
3	Tikamgarh	47.2
4	Ratlam	46.2
5	Sidhi	45.7
6	Chhatarpur	43.5
7	Vidisha	43.5
8	Barwani	42.2
9	Ujjain	41.0
10	Damoh	39.9
11	Sagar	38.6
12	Rajgarh	38.2
13	Umaria	37.3
14	Alirajpur	37.1
15	Datia	37.1
16	Dewas,	36.1
17	Satna	36.1
18	Shahdol	35.4
19	Shajapur	35.2
20	Dindori	34.9
21	Singrauli	34.9
22	Shivpuri	34.0
23	Rewa	33.6
24	Ashoknagar	33.2
25	Panna	32.9
26	Neemuch	31.8
27	Bhind	31.7
28	Sehore	31.5
29	Dhar	30.1
30	Guna	29.8
31	Sheopur	29.6
32	Raisen	28.1
33	Narsimhapur	27.4
34	Anuppur	27.3
35	Mandla	27.3
36	Morena	27.0
37	Katni	25.5
38	Burhanpur	24.7
39	Harda,	24.3
40	Khargone	24.0
41	Indore	20.7

42	Gwalior	19.4
43	Hoshangabad	18.4
44	Khandwa (East Nimar)	17.6
45	Chhindwara	16.3
46	Seoni	16.3
47	Jabalpur	13.9
48	Bhopal	13.1
49	Betul	12.5
50	Balaghat	8.6
	M.P	**30.0**

Source –NFHS-4

परीशिष्ट-4

जिला बार महिलाओ का साक्षात्कार

District	महिलाओ की संख्या
Annuppur	**30**
Betul	**30**
Bhind	**30**
Bhopal	**30**
Chindwara	**30**

Damoh	**30**
Gwalior	**30**
Hosangabad	**30**
Indore	**30**
Jhabua	**30**
Khandwa	**30**
Mandla	**30**
Morena	**30**
Panna	**30**
Raisen	**30**
Rajgarh	**30**
Rewa	**30**
Satna	**30**
Sidhi	**30**
Sehore	**30**
Sheopur	**60**
Singrauli	**30**
Umariya	**30**
Total	720

Source - CROMP,2016

परीशिष्ट-5

मध्य प्रदेश में 15 से 19 बर्ष की गर्भवती और बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं

S.no	Districts	Women age 15-19 years who were already mothers or pregnant at the time of the survey (%)
1	Jhabua	24.4
2	Tikamgarh	17.1
3	Barwani	14.8
4	Alirajpur	13.5
5	Narsimhapur	12.5
6	Singrauli	11.7
7	Sagar	11.1
8	Dindori	10.3
9	Shajapur	10.2
10	Ashoknagar	9.9
11	Dhar	9.9
12	Guna	9.7
13	Ujjain	9.5

14	Vidisha	9.5
15	Dewas,	9.4
16	Mandla	8.8
17	Shivpuri	8.6
18	Ratlam	8.3
19	Chhatarpur	8.2
20	Umaria	8.2
21	Chhindwara	8.1
22	Anuppur	8
23	Damoh	7.8
24	Datia	7.8
25	Raisen	7.3
26	Shahdol	7.3
27	Panna	7.2
28	Burhanpur	7
29	Khargone	7
30	Rajgarh	6.7
31	Sidhi	6.6
32	Khandwa (East Nimar)	6.1
33	Bhind	6
34	Morena	5.5
35	Indore	5.1
36	Betul	4.9
37	Mandsaur	4.4
38	Satna	4.4
39	Rewa	4.3
40	Sehore	4.3
41	Katani	4.3
42	Harda,	4.2
43	Neemuch	4.2
44	Jabalpur	4
45	Gwalior	3.8
46	Seoni	3.8
47	Sheopur	3.6
48	Hoshangabad	2.5
49	Balaghat	2.2
50	Bhopal	2.1
	M.P	**7.3**

Source –NFHS-4